राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 774/2012/उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–'सी', उदयपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ट्रोपिकल एग्रीकल्चर एण्ड फार्मिंग सिस्टम,
उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/01/2015

निर्णय

1- यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 346/वेट/10--11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.09.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि दिनांक 01.01.2010 से 31.03.2010 का वेट अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.11.2010 को पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में विक्रय किये गये एक्वेरियम एक्सेसरीज की बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए तदनुसार कर रूपये 63,998/– का आरोपण किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 से उक्त कर अपास्त करते हुए प्रकरण में पुनः जांच की जाकर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

लगातार.....2

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक **13.01.2012** को पारित किया जा चुका है, विद्वान अभिभाषक ने उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्व की अपील निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 की पालना में पारित किये गये पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.01.2012 का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2010 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.01.2012 को पारित किया जा चुका है।

8. अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

20.01.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य